रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022026-269807
CG-DL-E-03022026-269807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947
No. 95] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 100(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 93 के, उप-नियम (1) में, खंड (क) के, उप-खंड (VI) में, नीचे की तालिका के छठे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"यह भी प्रावधान है कि घरेलू वस्तुओं या फोटोवोल्टिक सौर पैनलों/मॉड्यूलों के परिवहन में संलग्न श्रेणी एन2 या एन3 के मोटर वाहन के मामले में, जिन्हें कई परतों में लोड बॉडी पर पैक और स्टैक किया जाता है, मोटर वाहन की कुल ऊंचाई 4.50 मीटर से अधिक नहीं होगी।"

3. उक्त नियमावली में, नियम 93 के, उप-नियम (1) में, खंड (क) के, उप-खंड (VII) में, नीचे की तालिका के पांचवें परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"यह भी प्रावधान है कि घरेलू वस्तुओं या फोटोवोल्टिक सौर पैनलों/मॉड्यूलों के परिवहन में संलग्न सेमी-ट्रेलर युक्त ट्रैक्टर के मामले में, जिन्हें लोड बॉडी पर कई परतों में पैक और स्टैक किया जाता है, मोटर वाहन की कुल ऊंचाई 4.50 मीटर से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. आरटी-11028/05/2018-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889 (अ), दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक .... द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

G.S.R. 100(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (………. Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (here in after referred as said rules), in Rule 93, in sub rule (1), in clause (A), in sub-clause (VI), after the sixth proviso below Table, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that in case of a motor vehicle of category N2 or N3 engaged in transportation of white goods or photovoltaic solar panels/ modules packaged and stacked on the load body in multiple layers, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.50 meters."

3. In the said rules, in Rule 93, in sub-rule (1), in clause (A), in sub-clause (VII), after the fifth proviso below Table, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that in case of a Semi-trailer with a tractor engaged in transportation of white goods or photovoltaic solar panels/ modules packaged and stacked on the load body in multiple layers, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.50 meters."

[F. No. RT-11028/05/2018-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020 and lastly amended vide Notification number …….. dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA